<u>अति तत्काल</u>

संख्या-ए.12026/2/2007-प्रशा.-I
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
......

नई दिल्ली, दिनांक: 15 जून, 2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड में सहायक सचिव (पीबी-2 9300रू0-34800+4200रू0) के एक पद का भरा जाना ।

प्रतिनियुक्ति आधार पर (पीबी-2 9300रू0-34800+4200रू0) के वेतनमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सहायक सचिव, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और क्रीडा बोर्ड (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित) के एक पद को भरा जाना प्रस्तावित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार के समान/अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग-पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस पद हेतु चुने गए अधिकारी का वेतन समय-समय पर यथा संशोधित इस विभाग के दिनांक 5.1.94 के का.ज्ञा.सं.2/29/91-स्था.(वेतन.II) के अनुसरण में विनियमित किया जाएगा ।

2. खेलकूद अधिवेशनों/आयोजनों तथा नाटक संगीत और नृत्य इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं का आयोजन करने तथा खेल के मैदानों, टेनिस कोर्ट तथा अन्य खेल-कूद प्रसुविधाओं के रख-रखाव का अनुभव रखने के एक वर्ष के अनुभव सहित तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले तथा नियमित आधार पर सादृश्य अथवा समकक्ष पदों को सम्भाले हुए केन्दीय सरकार के अंतर्गत अधिकारी इस पद पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र होंगे ।

3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4. इच्छुक और पात्र अधिकारी जिन्हें तत्काल मुक्त किया जा सकता हो के आवेदनों को (i) अनुबंध-क पर दिए प्रपत्र के अनुसार जीवनवृत्त(तीन प्रतियों में) (ii) अधिकारी की पिछले पाँच वर्ष की यथा सत्यापित अद्यतन सीआर डोजियर की प्रतिलिपियां, (iii) संवर्ग अनापत्ति, (iv) सतर्कता अनापत्ति/सत्यनिष्ठा अनापत्ति और (v) अधिकारी पर लगाए गए लघु और दीर्घ शास्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण, यदि कोई हो, सहित अवर सचिव(प्रशा.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कमरा सं.3ए/II, पहली मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उचित माध्यम से भेजा जा सकता है, ताकि इस रिक्ति परिपत्र के जारी होने की तारीख के 60 दिन के भीतर उन तक पहुंच जाए ।

हरीश 12/6

(हरीश चन्द्र)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को इस डाक को परिचालित करने के अनुरोध सहित) ।
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सभी अनुभाग/डेस्क ।
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) को इस परिपत्र को वेबसाइट पर डालने हेतु ।

प्रपत्र

1.	नाम	
2.	पदनाम और वेतनमान	
3.	जन्म तिथि	
4.	क्या अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के हैं	
5.	शैक्षिक अर्हता	
6.	क्या नियमित आधार पर मूल संवर्ग/विभाग में सादृश्य पद सम्भाले हुए हैं यदि हां तो ब्यौरा दें	
7.	वेतनमान (पीबी-2 9300रू0-34800 + 4200 रू0) में नियमित नियुक्ति की तारीख	
8.	पिछले बाह्य-संवर्ग-पद से वापसी की तारीख, यदि कोई हो	
9.	क्या खेलकूद अधिवेशनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं क्या खेल के मैदान, टेनिस कोर्ट और अन्य खेलकूद प्रसुविधाओं के रख-रखाव का अनुभव रखते हैं	
10.	दूरभाष/मोबाइल नम्बर, यदि कोई है, सहित अभ्यर्थी का पूरा सरकारी पता, जिस पर उनसे सम्पर्क साधा जा सके	(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रमाणपत्र

(आवेदन अग्रेषिती प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे की उपलब्ध अभिलेखों से जांच की गई है और ये सही पाए गए ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि परिपत्र में उद्धृत शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी इस पद हेतु योग्य है ।
3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला न तो लम्बित अथवा न ही अपेक्षित किया जा रहा है । आवेदक की सत्यनिष्ठा सत्यापित की जाती है ।
4. अधिकारी की पिछले पाँच वर्ष की अद्यतन सीआर डोजिअर, यथा प्रमाणित, की प्रतिलिपियां संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम मोहर सहित